

(1700/MK/SM)

1700 बजे

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): सभापति महोदय, आपने मुझे The New Delhi International Arbitration Centre (Amendment) Bill, 2022 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि अगर आर्बिट्रेशन करना है तो पहले हमारा जो जूडिशियल स्ट्रक्चर है, उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से करोड़ों की तादाद में केसेज पेंडिंग हैं। उसके लिए सरकार को जो करना चाहिए, वह नहीं कर पा रही है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जहां पर डिस्ट्रिक्ट बने हुए एक डिकेड से ज्यादा समय हो गया है, वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बिलडिंग नहीं है।

यह इन्फ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट को क्रिएट करना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की मांग कई दशकों से हो रही है, लेकिन आज तक वह नहीं हो पा रही है। कुछ न कुछ बहाना मिल जाता है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर दिल्ली में बने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वह बनना चाहिए, लेकिन यहां आजकल क्या हो रहा है? मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा कि जो बड़े-बड़े लॉयर्स हैं, आपदा में अवसर तलाश लिया गया, मुझे माफ कीजिएगा, मैं लॉ मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो बड़े लॉयर्स हैं, वे लंदन में और दूसरी कंट्रीज में भी बैठकर वीडियो कांफ्रेंसिंग से काम कर लेते हैं। लेकिन, जो हमारे यहां पर हैं, मैं कोई वकील नहीं हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि जो गरीब आदमी है उसको आज की तारीख में न्याय मिलना बहुत मुश्किल है।

वह बड़े लायर्स को हायर नहीं कर सकता है। जो किसान की और गरीब की समस्या है, जबैर जैसे जर्नलिस्ट लोग या दूसरे जर्नलिस्ट, जो इस देश में डेमोक्रेसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जेलों में रखा जाता है। वे बड़े लॉयर हायर नहीं कर सकते हैं।

मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि देश के अंदर जूडिशियल सिस्टम के अंदर लॉ मिनिस्टर साहब को आर्बिट्रेशन अच्छे से करना चाहिए और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। यह ठीक है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन इंडिया में हो, उसके लिए हम समर्थन करते हैं। लेकिन, हमें अपने गिरेबान में झांककर देखने की जरूरत है। बहुत-बहुत शुक्रिया।

(इति)

کنور دانش علی (امروہ): محترم چیرمین صاحب، آپ نے مجھے New Delhi International Arbitration Centre (Amendment) Bill 2022 پر بولنے کا موقع دیا اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ اگر آر بیٹریشن کرنا ہے تو سب سے پہلے جو ہمارا جیوڈیشیل اسٹراکچر ہے، اس کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ کس طریقے سے کروڑوں کی تعداد میں کیسز پینڈنگ پڑے ہیں۔ اس کے لئے سرکار کو جو کرنا چاہیے، وہ نہیں کر پا رہی ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ڈسٹرکٹ بنے ہوئے ایک ڈیکریٹ سے زیادہ ہو گیا ہے، وہاں ڈسٹرکٹ کورٹس کی بلڈنگ نہیں ہے۔ یہ انفراسٹرکچر گورنمنٹ کو کریٹ کرنا ہے۔ مغربی اتر پردیش میں ہائی کورٹ کی بینچ کی مانگ کئی دہائیوں سے کی جا رہی ہے، لیکن آج تک وہ نہیں ہو پایا ہے۔ کچھ نہ کچھ بہانہ مل جاتا ہے۔ انٹرنیشنل آر بیٹریشن سینٹر دہلی میں بنے اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ وہ بننا چاہیے، لیکن یہاں آج کل کیا ہو رہا ہے؟ میں معافی کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ جو بڑے بڑے لائرس ہیں، آپدا میں اوسر تلاش کیا گیا، مجھے معاف کیجئے گا، میں وزیر قانون سے کہنا چاہوں گا کہ جو بڑے لائرس ہیں، وہ لندن میں اور دوسرے ممالک میں بیٹھ کر ویڈیوں کانفرنسنگ سے کام کر لیتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے یہاں پر ہیں، میں کوئی وکیل نہیں ہوں، لیکن سچائی یہ ہے کہ جو غریب آدمی ہے اس کو آج کی تاریخ میں انصاف ملنا بہت مشکل ہے۔ وہ بڑے لائرس کو ہایر نہیں کر سکتا ہے۔ جو کسان اور غریب کے مسائل ہیں، زبیر جیسے جرنلسٹ لوگ یا دوسرے جرنلسٹ، جو اس ملک میں جمہوریت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو جیلوں میں رکھا جاتا ہے۔ وہ بڑے لائرس ہائر نہیں کر سکتے ہیں۔

میں آپ ک ذریعہ سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ملک کے اندر جیوڈیشیل سسٹم کے اندر وزیر قانون صاحب کو آر بیٹریشن اچھے سے کرنا چاہیے اور انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے انٹرنیشنل آر بیٹریشن انڈیا میں ہو، اس کے لئے ہم سمرتھن کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ - بہت بہت شکریہ -

(ختم شد)

1702 hours

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Thank you, Sir. I stand here just to ask two very small questions to the hon. Law Minister of India. I cannot believe that he has brought in this Bill just to change the name. There is really nothing else in this Bill. I think this is really a colossal waste of time of the Parliament. It is just appalling. I have just two questions. This Bill is not for the common man. This is for New Delhi international Arbitration Centre. So, this is obviously for the big boys. A reply from the Government of India in Rajya Sabha states that high net worth individuals of India are leaving India. My friend, Shri Pinaki Mishra also spoke at length last week about it that most high net worth individuals are leaving this country and they prefer a foreign passport over an Indian passport. That is point number one. The point number two is that a lot of my colleagues talked about all the big lawyers, the big boys, who are leaving our country and they prefer arbitration in England. They prefer to live in England. It is not just that all the big investors are leaving, but there is the problem of brain drain also. All the big lawyers are preferring to leave India. Have you ever thought of that for a moment? While you are trying to make an international centre, why are the so-called crème de la crème of India, be it the intellectual lawyers, be it the industrialists, leaving India? Let us not take the socialist line. Let us take, for a moment, the capitalist line which our Government likes. Why are all these people who generate wealth and jobs in this country leaving this country? I am giving you two small examples. Look at Cairn Energy and Reliance. This has happened in your duration. Was it just because of a petroleum issue or the Amazon Future Group and the Reliance dispute? They have not chosen India as an option. Unfortunately, the Future Group has almost become an NPA, which was one of the finest companies in this country. So, why do the big companies like Reliance choose Singapore or Britain as an arbitration centre and not India? Why do you not introspect on this to improve and strengthen the system instead of bringing the law just for changing the name? अपने गिरेबान में झाँककर देखिए, कुछ तो कम पड़ रहा है। इसलिए, सब छोड़कर जा रहे हैं। It is very easy to do all the jingoism that this Government does. It is all wonderful. But you are bringing in an international centre for the big boys, the big industrialists who you expect to be a part of this arbitration centre. But they are preferring Singapore over India. Then, why are we wasting our time on this? I need a reply on this. Thank you.

(ends)

(1705/KKD/SJN)

1705 hours

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on this Bill.

An efficient adjudicative mechanism has a key role in promoting investment, industrial growth and generation of employment, and the overall development of a country.

Sir, the investors – domestic and foreign – feel encouraged and confident to invest in a country if they find that country has an efficient justice delivery mechanism. The Alternative Dispute Resolution mechanism, over the years, has emerged as a main source of main tool, a key role in adjudication of the disputes. In that background, this Bill is a right step in the right direction because most of the hon. Members have voiced their concern why people should people flock to other places for arbitration. It is because we did not have an efficient mechanism here in the country. If the change itself may not convey much, it does give an impression or it does, at least, bely that impression that: “No, we do not have an efficient adjudicative mechanism or an alternative dispute mechanism of arbitration in the country.

When our people flock, go to Hong Kong or Singapore, or London or other places, they go there because there is a clause in the agreement, ‘jurisdiction at London’ etc. Why do they insist on it once they enter into an agreement with our investors or collaborate with them? It is because they say that we do not have an efficient dispute resolution mechanism in the country. So, we also readily agreed upon it. It has now been proposed by the hon. Minister. Section 15 tells us that the Centre will facilitate arbitration. Once it is there, that argument or that plea will no more be available to our foreign investors.

I think, this is a right step in the right direction. I support this Bill. Thank you.

(ends)

1707 बजे

श्री हनुमान बेनिवाल (नागौर) : सभापति महोदय, राजस्थान के अंदर एक आस्था का केन्द्र खाटू श्याम जी है, उस मंदिर के प्रांगण में दर्शन को लेकर भगदड़ मच गई। लाखों लोग थे, वहां की इंटेलीजेन्स फेल थी, तीन लोगों की मौत हो गई, कई दर्जन लोग घायल हो गए। मेरा निवेदन है कि केन्द्र वहां पर एक टीम भेजे। आप एक सीआई को सस्पेंड करके संदेश नहीं दे सकते।... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन) : विषय क्या है?

... (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनिवाल (नागौर) : महोदय, ... (Not recorded) मेहरानगढ़ के अंदर सैकड़ों लोग मारे गए थे।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No. Please speak on the Bill. Nothing will go on record.

... (Interruptions) ... (Not recorded)

श्री हनुमान बेनिवाल (नागौर) : महोदय, मेरा निवेदन है। मैं बिल पर आ रहा हूँ।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You may make your submission after this. Here, you speak on the Bill only.

... (Interruptions)

श्री हनुमान बेनिवाल (नागौर) : महोदय, मैं बिल पर ही बोल रहा हूँ।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Beniwal-ji, you please speak on the Bill.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record.

... (Interruptions) ... (Not recorded)

HON. CHAIRPERSON: You speak on the Bill. Hon. Speaker has given you the permission to speak on the Bill.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: That cannot be done like this.

... (Interruptions)

श्री हनुमान बेनिवाल (नागौर) : महोदय, मैं बिल पर ही बोल रहा हूँ। अधीर रंजन जी, मैं आपके खिलाफ थोड़े ही बोल रहा हूँ। आप बैठ जाइए।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप माध्यस्थम् केन्द्र (संशोधन) विधेयक पर बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनिवाल (नागौर) : सभापति जी, मेरा निवेदन है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।... (व्यवधान)
(इति)

HON. CHAIRPERSON: Now, Dr. Nishikant Dubey.

... (Interruptions)

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, these remarks may be removed from the proceedings.

HON. CHAIRPERSON: I have already given my instructions.

... (Interruptions)

1709 बजे

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा लाए गए इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं सभी को सुन रहा था। पिछले 75 सालों में इस देश का जो माहौल शिफ्ट हुआ है, उसमें इसकी कितनी आवश्यकता है। जबसे हमने सन् 1947 के बाद स्टार्ट किया, तो लाइसेंस परमिट और कोटा राज में चले गए। एक सर्टन हाउस ही बिजनेस कर सकता है, उसको सर्टन सेगमेंट में लाइसेंस मिल सकता है, उसको परमिट मिल सकता है, कोटा मिल सकता है। मैं किसी को ब्लेम देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ।

(1710/YSH/RP)

दूसरा जो सरकार ने आजादी के बाद किया, वह यह किया कि सरकार को बिजनेस करना है। यदि स्टील बनाना है तो सरकार को बनाना है, सीमेंट बनाना है तो सरकार को बनाना है, कार बनानी है तो सरकार को बनानी है, पिन बनानी है तो सरकार को बनानी है। एक-दो जो बिजनेसमैन थे, वे 'कोटा परमिट लाइसेंस राज' में थे। इस कारण से हमारे यहां पर इस तरह के कोई भी डिस्प्यूट्स डेवलप नहीं हुए। सन् 1990 के बाद लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ। अब ऐसा कोई सेक्टर नहीं है। भारत सरकार ने एक पॉलिसी के तहत यह फैसला किया है और धीरे-धीरे मुझे यह लग रहा है कि सरकार सारे बिजनेस खत्म कर देगी और इस पार्लियामेंट का जो बेसिक काम कानून बनाने का है या सरकार का जो बेसिक काम पॉलिसी में जाने का है, उसके लिए हमें लगता है कि एक-दो सेक्टर को छोड़कर मैक्सिमम जगह सरकार को वहीं जाना चाहिए और यही पूरी दुनिया की रीत है। ग्लोबलाइजेशन के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस देश में एक नई क्रांति स्टार्ट की थी, उस कारण से इसकी आवश्यकता है। अब ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं होगा। जबकि स्मॉल स्केल सेक्टर से लेकर बड़े सेक्टर तक इन्वेस्टमेंट बाहर का नहीं आएगा तथा भारत के बिजनेसमैन का पार्टनर बाहर का नहीं होगा। जब यह सिचुएशन डेवलप होगी तो सारे डिस्प्यूट्स बाहर होंगे। मान लीजिए बड़े-बड़े लोग तो सिंगापुर चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे। अमेरिका में डिस्प्यूट हो जाएगा तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो छोटे लोग हैं, उनके जो डिस्प्यूट्स होंगे, उन डिस्प्यूट्स के लिए शायद उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे, वे उस एग्रीमेंट के पार्ट नहीं होंगे इसलिए मेरा मंत्री जी से कहना है कि आप यह बहुत अच्छा बिल लेकर आए हैं।

मेरा एक छोटा सा सुझाव है। ये जो कंपनियां दूसरी कंपनियों के साथ या दूसरे देशों के साथ एग्रीमेंट करती हैं, उसमें इस पॉइंट को जरूर जोड़ा जाना चाहिए कि यदि कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को हम इंडिया के अंदर रिजॉल्व करेंगे। हम दिल्ली के अन्दर जो आर्बिट्रेशन सेन्टर बना रहे हैं, यदि हम यह कर पाएं तो जो लोगों का कन्सर्न है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बाहर के लोग जा रहे हैं और हमने देखा भी है कि बड़े-बड़े डिस्प्यूट्स में, चाहे एन्ट्रिक्स-देवास का मामला हो या चाहे वोडाफोन का मामला हो तथा यह जिस किसी भी सरकार ने किया हो, उस कारण से हम लोगों को काफी नुकसान सहना पड़ा है। एयर इंडिया के साथ तो ऐसा हो गया कि एन्ट्रिक्स-देवास के कारण पूरी दुनिया में एयर इंडिया के सारे एसेट्स ही जब्त होने लग गए।

इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम उसे एग्रीमेंट का पार्ट बना देंगे तो इसका फायदा हो जाएगा और जिस चीज के लिए माननीय मोदी जी इस बिल को लेकर आए हैं, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।

(इति)

1713 बजे

विधि और न्याय मंत्री (श्री किरन रिजीजू): सभापति जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने प्रारम्भ में जैसा अनुरोध किया, उस हिसाब से हमारे माननीय सदस्यों ने अपनी बहुत लंबी बात नहीं रखी। हम यह भी मान सकते हैं कि इस बिल पर 100 प्रतिशत मैम्बर्स ने सपोर्ट किया है। इवन, दादा ने सपोर्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया है। हम उनके भाव को समझ सकते हैं।

सभापति जी, मैंने जैसा शुरू में कहा था कि यह एक छोटा सा अमेंडमेंट है। कभी-कभी एक छोटा अमेंडमेंट बड़ा काम कर जाता है। A small step can be a giant leap at times. आप यह मत समझिए कि यह एक छोटा अमेंडमेंट है। इसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा। कभी-कभी लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन कभी-कभी नाम ही सब कुछ होता है। इसलिए जब हम नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेन्टर का नाम बदलने की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में कुल 36 आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन्स हैं और सब शहरों के नाम हैं। खासकर महाराष्ट्र में है, नई दिल्ली में है, वेस्ट बंगाल, केरल, तमिलनाडु, गोवा, तेलंगाना, गुजरात तथा कर्नाटक में है। इसके अलावा कई जगहों पर कई सालों से एड्‌हॉक आर्बिट्रेशन का मैकेनिज्म चलता आ रहा है। दिल्ली में ही दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेन्टर ऑलरेडी है, जो दिल्ली हाई कोर्ट के अधीन काम करता है। दिल्ली हाई कोर्ट से जिस मैटर को आर्बिट्रेशन के लिए रैफर करना है तो वह अपने सेन्टर में रैफर कर देता है। कभी-कभी कोर्ट अपने हिसाब से भी अपॉइंट कर देते हैं। आज जब नाम में चेंजेस की बात आ रही है तो मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि कभी-कभी नाम से कंप्यूजन भी पैदा होता है और नाम से आकर्षण भी होता है। जैसे मैंने कहा कि कई शहरों के नाम से आर्बिट्रेशन सेन्टर है। जब भारत सरकार पहल करके, संसद में बिल को पारित करके एक सेन्टर को गठित कर रही है तो उसका स्तर भी उसी लेवल पर बनना चाहिए और उसके हिसाब से ही उसकी प्रोग्रेस भी होनी चाहिए।

(1715/RPS/NKL)

जब हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की बात करते हैं तो उसमें कई चीजें हमको देखनी पड़ती हैं। इसमें ऐसा कन्फ्यूजन भी नहीं होना चाहिए कि यह जो नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है, this is one of the arbitration centres in the country, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि it is a centre of national importance. जब पार्लियामेंट के एक्ट से पास करते हैं तो उसका एक महत्व होता है। इसलिए कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि दिल्ली में दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है और उसी नाम से अगर हम और एक सेंटर बनाएंगे तो उसमें कन्फ्यूजन होता है। दूसरी बात यह है, कुछ सदस्यों ने कहा कि वर्ष 2019 में बिल लाए थे तो आज फिर दोबारा लाने की क्या जरूरत है। डायनामिक सिचुएशन में, जैसी परिस्थिति है, अगर हम उस हिसाब से कानून नहीं बनाएंगे तो फिर यह संसद है किसलिए? संसद इसीलिए है कि जब-जब देश के लिए कोई जरूरी कानून बनाना होता है, तो इस सदन के माध्यम से उसको पारित करके बनाना होता है। माननीय सदस्य को खुश होना चाहिए, सरकार को शाबाशी देना चाहिए कि हम सूझबूझ के साथ, जरूरत के हिसाब से आज यह अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं।

जब हम इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बोलते हैं तो यह पूरे देश का प्रतीक होता है, एक शहर का नहीं होता है, अन्यथा लोग सोचेंगे कि क्या यह दिल्ली वालों के लिए है। दूसरे कई मेंबर्स ने कई अच्छे-अच्छे सुझाव दिए हैं। मैं सारे सुझावों को सम्मिलित करके एक साथ जवाब देना चाहता हूँ।

सबसे पहले, आप लोगों का एक प्रश्न था कि आज तक भारत में आर्बिट्रेशन सिंगापुर के तहत क्यों नहीं हो पा रहे हैं और कुछ लोगों ने यह कहा कि भारत के बिजनेसमेन कोई डिसप्यूट होने पर विदेश क्यों चले जाते हैं, लंदन, पेरिस, सिंगापुर, हाँगाकंग या कहीं और क्यों चले जाते हैं। हमारे देश में भी कई आर्बिट्रेशन्स के काम चल रहे हैं, लेकिन आज एड-हॉक आर्बिट्रेशन को प्रिफर करने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है। उनको कम्फर्टेबल लगता है कि एड-हॉक आर्बिट्रेशन में हमारे यहां काम चलते रहना चाहिए। जो एक बड़ा वर्ग है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिल चुकी है कि एड-हॉक आर्बिट्रेशन से अच्छा इंस्टीट्यूशनलाइज आर्बिट्रेशन जरूरी है। इसलिए हम इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को क्लियर करने के लिए दो पॉइंट्स बता देता हूँ। Why is its an advantage to have institutional arbitration? First of all, it determines the arbitration procedures in a very formal manner. All the popular institutions globally provide for an arbitration procedure and it saves the parties' and their lawyers' efforts of determining the arbitration procedure. Some institutions also provide the service of drafting an arbitration clause. जब हमारा आर्बिट्रेशन सेंटर बनता है तो वे पार्टिज को मदद करते हैं। जैसा निशिकांत जी ने कहा कि उसमें ऐसा क्लॉज होना चाहिए, इस बिल के पास होने के बाद, चूंकि भारत सरकार सबसे बड़ा लिटिगेंट होता है, तो मैं मानता हूँ कि भारत सरकार के हर बड़े कांट्रैक्ट में यह क्लॉज दिया जाएगा और उस क्लॉज के तहत, जो भी केसेज उत्पन्न होंगे, वे इसी इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में तय किए जाएंगे। इसके बाद, इसके पास एफिशिएंट पैनल आर्बिट्रेटर्स होंगे और जब आपके पास क्वालीफाइड, इंटरनेशनल रिप्यूटेड पैनल आर्बिट्रेटर्स होते हैं, तो उनमें कांफिडेंस होता है और जब कांफिडेंस होगा, तब लोग आएंगे। आप चाहते हैं कि भारत टूली इंटरनेशनल सेंटर ऑफ आर्बिट्रेशन हब बनना चाहिए तो आपको खुले दिल से इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि यह बिल उसी डायरेक्शन में ले जाने के लिए काम कर रहा है। इंप्रॉस्ट्रक्चर के बारे में बात की गई और कई माननीय सदस्यों ने सिंगापुर के बारे में जिक्र किया तो मैं आपको एक-दो पॉइंट्स बताता हूँ कि सिंगापुर इतना बड़ा सेंटर कैसे बन गया है। एक, सिंगापुर की जो लोकेशन है, इंग्लिश स्पीकिंग होने के साथ-साथ, लोग उसे एक न्यूट्रल वेन्यू के रूप में देखते हैं। छोटा देश है, लेकिन उसका एक हाइली एफिशिएंट सिस्टम वहां है। कोई भी पार्टि डिस्प्यूट होने पर सिंगापुर जाने को प्रिफर करती है।

(1720/SPS/MMN)

अभी लंदन में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मैं और चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया साथ में थे। मैंने कई लोगों से बात की, ईवन वहां के हाउस ऑफ कॉमन में जो एमपीज़ हैं, मंत्री हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो मैम्बर्स हैं और बाकी लोगों से मैंने बात की। सब ने एक चीज कही है और मुझे उन लोगों की बात सुनकर अच्छा लगा कि भारत एक उभरता हुआ देश है और आर्थिक ताकत है। इण्डिया की ओर लोग देख रहे हैं। आने वाले दिनों में इण्डिया ही एक मेजर आर्बिट्रेशन का हब बनेगा, यह कॉन्फिडेंस उन्होंने जताया है। जब भारत की ओर लोग देख रहे हैं तो हमें प्रोएक्टिव होकर जो-जो कदम उठाने चाहिए तो वे भारत सरकार और इस संसद के माध्यम से उठाने चाहिए। हमने प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में एक कल्पना ली है। वर्ष 2016 में प्रधान मंत्री जी ने एक विज़न हमारे सामने रखा, मैं उसे कोट करना चाहता हूँ। जब दिल्ली में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, 'National initiative towards strengthening arbitration and enforcement in India.' उसमें प्रधान मंत्री मोदी जी ने जो कहा, मैं उसे कोट करना चाहता हूँ। "An enabling alternative dispute resolution ecosystem is a national priority for India. We need to promote India globally as an arbitration hub. As Roscoe Pound famously remarked, "The law must be stable, but it must not stand still." We need to take inspiration from beyond our source." इसलिए जब हम एक इण्टरनेशनल हब की बात करते हैं तो हमारे यहां पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे पास सेंटर भी बने हुए हैं और जो कम्पोज़िशन है, उसको बनाने में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

सर, कई मैम्बर्स ने इसके अलावा जो मुझे उठाए हैं, जैसे कि पेण्डिंग ऑफ केसेज़। यह एक तरह से बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, उसी तरह ये हमें एक बहुत बड़ा रास्ता दे रहे हैं। जब हम कहते हैं कि इस देश में टोटल नंबर ऑफ पेण्डिंग केसेज़ पांच करोड़ की ओर बढ़ रहे हैं तो मैं इस सदन को बताना चाहता हूँ कि इसमें कई कारण हैं। इस सदन के सांसद होने के कारण, मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट होने के कारण हमें यह जानकारी होनी आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कह देते हैं कि जजेज़ लोग काम क्यों नहीं करते हैं? लोग मुझे भी क्वेश्चन करते हैं कि आप कानून मंत्री हैं, पांच करोड़ केसेज़ पेण्डिंग होने वाले हैं, आप कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग जजेज़ के ऊपर अटैक करते हैं कि इन जजेज़ ने इतने केसेज़ को पेण्डिंग क्यों रखा है? वे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले के मुकाबले डिस्पोजल ऑफ द केसेज़ कई गुना बढ़े हैं। आज मान लीजिए एक जज के पास पचास केस डिस्पोज होते हैं तो सौ केसेज़ नए भी आते हैं। भारत उभर रहा है, सबको अवेयरनेस आई है, सब कोर्ट जा रहे हैं।

1724 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

जब कहीं भी डिस्प्यूट होता है तो सब वकील को पकड़ते हैं और कोर्ट चले जाते हैं। उस हिसाब से मैं मानता हूँ कि जो पेंडिंग ऑफ केसेज़ है, यह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसकी चिंता सबको करनी चाहिए, सरकार को भी करनी चाहिए और इस सदन को भी करनी चाहिए और साथ-साथ ज्यूडिशियरी को भी इसकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि लगभग 80 परसेंट से ज्यादा पेंडिंग केसेज़ लोअर कोर्ट्स में हैं। लोअर कोर्ट्स के जो जजेज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेज़ हैं, सेशन कोर्ट के जजेज़ होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, उन जजों की नियुक्ति राज्य सरकार से बातचीत करके हाई कोर्ट की देख-रेख में होती है। उसमें भारत सरकार सीधा-सीधा हस्तक्षेप नहीं करती है। हाई कोर्ट के जजेज़ और सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ के अपॉइंटमेंट में भारत सरकार का रोल होता है। भारत सरकार उसमें बहुत बड़ा योगदान करती है, लेकिन परसेंटेज ऑफ पेंडिंग ऑफ केसेज़ में आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में कितने हजार केसेज़ पेंडिंग हैं, हाई कोर्ट में कितने हैं और लोअर में कितने हैं, इसको देखते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि हां, हमारे जजेज़ मेहनत करते हैं। आजकल जजेज़ बहुत ज्यादा केसेज़ डिस्पोजल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी एक-एक जज ऐवरेज में कम से कम 40 से 50 केसेज़ को डिस्पोज करते हैं। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है, सिर्फ भारत में होता है।

(1725/RAJ/VR)

लेकिन इतनी बड़ी संख्या में केसेज़ आते हैं कि उनको डिस्पोज करने का जितना प्रयास करें, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। सबको मिल कर इसकी चिंता करनी है।

इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा उठाया गया है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अभी आंकड़ों के बारे में नहीं कहूंगा, भाषण बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं प्रश्न काल में भी बताता हूँ। वर्ष 2014 के बाद जिस स्पीड से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिए हैं, वे काफी नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमने उसे पहले के मुकाबले तीन गुना बढ़ाया है। माननीय हाई कोर्ट्स से नीचे जितने भी कोर्ट्स हैं, हमने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को कई गुना बढ़ाया है। हम सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं। हम वह सेंट्रल स्पाँसर्ड स्कीम के माध्यम से वह देते हैं। हमारे जस्टिस डिपार्टमेंट उसकी देखरेख करके ऑब्जर्वेशन करते हैं, मॉनिटर करते हैं, लेकिन राज्य को बहुत प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। राज्य सरकार और हमें मिलकर इसको देखना है। यह कोई विवाद का विषय नहीं है। यह मिलकर काम करने की चीज है।

सर, आपने हमें एक निश्चित समय दिया है। मेरे पास कुछ तर्क थे, लेकिन अभी साढ़े पांच होने वाले हैं। अगर आप पांच मिनट का समय देंगे, तो अपनी बात मैं खत्म कर सकता हूँ... (व्यवधान) दो मिनट... (व्यवधान)

क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहां आए हैं, मेरे पास तर्क और जवाब भी हैं एवं मुझे कॉफिडेंस भी है कि मेरा जवाब पूरा होने के बाद आप उस जवाब के ऊपर सवाल नहीं कर सकते हैं। ऐसे तर्क मेरे पास हैं। फिर भी मुझे यहां समय की मर्यादा का ध्यान रखना है, इसलिए मुझे ज्यादा कहने की इजाजत नहीं है। मुझे माननीय स्पीकर साहब ने इसकी इजाजत नहीं दी है।

फिर से, मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। खासकर उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस डिबेट में हिस्सा लिया है – डॉ. अमर सिंह जी, रमेश बिधूड़ी जी, प्रो. सौगत राय जी। मैं सौगत राय जी के बारे में जरूर कहूंगा कि आप पढ़े-लिखे जरूर हैं, लेकिन पढ़े-लिखे होने के साथ-साथ नई-नई जो घटनाएं घटती हैं, जो अपडेट होते हैं, उनको भी पढ़िए। आप कुछ सवाल करते हैं। आपने मुझसे बिल्कुल गलत एक प्रश्न किया। आपने कहा कि इंटरनेशनल सेंटर ऑफ अल्टरनेटिव डिसप्यूट रेजोल्यूशन को खत्म करके एनडीआईएसी बनाया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह आईसीएडीआर इंडिपेंडेंट बॉडी है। हमने इसको खत्म करके ऐक्ट नहीं बनाया है। आप अपने इंफॉर्मेशन को अपडेट कीजिए, क्योंकि आप कभी-कभी बोल देते हैं और मेरे क्लैरिफिकेशन को लोग सुनते नहीं हैं। आपने जो गलत बात कही है, वे उसको सच मानते हैं। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए... (व्यवधान) इसलिए हम इस सदन में जो भी कहें, सोच-समझ कर, रिसर्च करके, तर्क के साथ हमें अपनी बात रखनी चाहिए।

सर, मैं विश्वास रखता हूँ कि इस अमेंडमेंट के बाद जब हम नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के रूप में स्थापित करेंगे, तो प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत जरूर ग्लोबल हब ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन बनेगा और हमारे पास बिजनेसेज बाहर से भी आएंगे। हिन्दुस्तान में इतनी ताकत है कि हम अपने बिजनेसमैन, अपने कॉर्पोरेट हाउस, अपने लोगों के दम से इंडिया की दुनिया में जो पोजिशन है, वन ऑफ द टॉप इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन नेशंस के रूप में उभर कर आएगा। जिन्होंने हमें इसमें समर्थन दिया है, डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, लावू श्रीकृष्णा देवरायालू जी, सुप्रिया सुले जी और जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी जी, ये जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट में जज रहे हैं। उन्होंने कश्मीर में जाकर उस दिन मेरे बारे में, हमारी सरकार के बारे में और प्रधान मंत्री जी के बारे में अच्छी-अच्छी बातें कही हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। आप जज हैं। आप सच बात कहते हैं और आपने कहा है कि जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के लिए भारत सरकार ने जो भी कदम उठाया है, वह सराहनीय है। आपने यह कहा है इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

इनके साथ-साथ हनुमान बेनिवाल जी को बोलने के लिए मौका दिया गया था, लेकिन वे अपनी बात नहीं कह पाए। वे दूसरे विषय पर चले गए। निशिकांत दुबे जी ने अपना तर्क सरकार के पक्ष में रखा है। जो माननीय सदस्य नहीं बोले, मुझे सिर्फ मन से समर्थन दिया है, मुझे मालूम है, इसके लिए पूरे सदन को बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

(1730/VB/SNT)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“ कि नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र अधिनियम, 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

.....

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 से 15 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 15 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

.....

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

SHRI KIREN RIJJU: Sir, I beg to move:

“That the Bill be passed.”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

.....

ANNOUNCEMENT RE: FAREWELL TO HON. VICE-PRESIDENT OF INDIA

1732 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज संध्या छः बजे संसद के बालयोगी ऑडिटोरियम में हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी व राज्य सभा के सभापति श्री वेंकैया नायडू जी का विदाई समारोह आयोजित किया जा रहा है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आप सभी इस समारोह में सम्मिलित हों।

विदाई संबंधी उल्लेख

1733 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सत्रहवीं लोक सभा का नौवां सत्र अब अपनी समाप्ति की ओर है। यह सत्र 18 जुलाई, 2022 को आरंभ हुआ तथा 8 अगस्त, 2022 को संपन्न हुआ।

हमारे लिए यह प्रसन्नता का विषय है कि 18 जुलाई, 2022 को 4 नए सदस्यों द्वारा शपथ लिए जाने के बाद अब सभा में कोई भी स्थान रिक्त नहीं है।

संसद के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों द्वारा भारत के निवर्तमान राष्ट्रपति श्रीमान् राम नाथ कोविन्द जी को 23 जुलाई, 2022 को संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में विदाई दी गई।

भारत गणराज्य की नवनिर्वाचित माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का शपथ ग्रहण समारोह संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में 25 जुलाई, 2022 को आयोजित किया गया।

माननीय सदस्यगण, इस सत्र में कुल 16 बैठकें हुईं, जिनकी कुल अवधि 44 घंटे और 38 मिनट रही।

इस सत्र के दौरान सभा द्वारा महत्वपूर्ण विधायी एवं अन्य कार्य किए गए। इस सत्र के दौरान, 6 सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किए गए तथा कुल मिलाकर 7 विधेयक पारित किए गए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं: राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2022; वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022, केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 तथा ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022. वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 पर 5 घंटे 05 मिनट तक चर्चा चली, जिसमें 39 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। माननीय मंत्री जी के उत्तर के बाद विधेयक को सदन द्वारा पारित किया गया।

सत्र के दौरान, माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 319 मामले तथा अविलंबनीय लोक महत्व के 98 मामले उठाए गए।

संसद की स्थायी समितियों ने सभा में 41 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। सत्र के दौरान 46 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए।

मंत्रियों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर कुल 47 वक्तव्य दिए गए, जिनमें 2 वक्तव्य उत्तरों में सुधार से संबंधित थे तथा 3 वक्तव्य माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकारी कार्य के संबंध में दिए गए।

(1735/PC/SRG)

सत्र के दौरान संबद्ध मंत्रियों द्वारा 1,641 पत्रों को सभा पटल पर रखा गया। सभा में मूल्य वृद्धि और भारत में खेलों को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में नियम 193 के अंतर्गत दो अल्पकालीन चर्चाएं भी की गईं।

मूल्य वृद्धि पर चर्चा दिनांक 1 अगस्त, 2022 को संपन्न हुई, जिसमें 32 माननीय सदस्यों द्वारा 6 घंटे 25 मिनट तक चर्चा की गई। यह चर्चा संबद्ध मंत्री के उत्तर के साथ संपन्न हुई। भारत में खेलों को बढ़ावा दिए जाने और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी आंशिक चर्चा की गई।

गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों की बात करें, तो सत्र के दौरान शुक्रवार, 5 अगस्त, 2022 को गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों पर 92 विधेयक पुरःस्थापित किए गए।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल के अनिवार्य मतदान विधेयक, 2019 पर चर्चा पहले, दूसरे सातवें और आठवें सत्र के दौरान हुई, जो इस सत्र के दौरान 5 अगस्त, 2022 को जारी रही। यह विधेयक 5 अगस्त, 2022 को सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

श्री गोपाल शेट्टी जी के लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2019, नई धारा 29क का अंतःस्थापन पर चर्चा 5 अगस्त, 2022 को आरंभ हुई। इस विधेयक पर चर्चा अगले सत्र में भी जारी रहेगी।

माननीय सदस्यगण, 27 जुलाई, 2022 को मोजाम्बिक की संसद के अध्यक्ष के नेतृत्व में वहां के संसदीय शिष्टमंडल ने लोक सभा की कार्यवाही को विशेष बॉक्स में बैठकर देखा।

मैं सभा की कार्यवाही का संचालन करने में सभापति तालिका में शामिल अपने माननीय साथियों के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, विभिन्न दलों के नेताओं और माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए हृदय से आभारी हूं।

मैं आप सभी की ओर से प्रेस-मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर मुझे सक्षम और विशेषज्ञ सहायता प्रदान करने के लिए मैं महासचिव की सराहना करता हूं।

मैं सभा को प्रदान की गई समर्पित और त्वरित सेवा के लिए लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं।

मैं सभा की कार्यवाही के संचालन में संबद्ध एजेंसियों को भी उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं।

माननीय सदस्यगण, अब हम सभी "वन्दे मातरम् की धुन" के लिए खड़े होंगे।

(राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।)

1739 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।